संख्या-427/2023/2368/41-2023-101(सा0)/2022

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 15 मई, 2023**

विषय:-मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5601/मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना/2022 दिनांक 03.11.2022 एवं पत्र संख्या-9072/मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना/2022 दिनांक 28.02.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 मंत्रि-परिषद से अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री सहभागिता आधारित (पचास-पचास प्रतिशत की सहभागिता पर) योजना की आवश्यकता के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा-निर्देश/प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

1.1- मुख्यमंत्री पर्यटन सहभागिता योजना के प्रमुख उद्देश्य

(I) उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन तथा पर्यटन सम्भावनाओं से परिपूर्ण अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर उसे उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।

(II) पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के प्रबन्धन, अनुरक्षण व संचालन में सहभागी संस्थाओं के मध्य स्वामित्व की भावना एवं बेहतर कार्यशील मॉडल स्थापित किया जाना।

(III) स्थानीय एवं घरेलू पर्यटक आवागमन में निरन्तर वृद्धि लाना।

(IV) चिन्हित अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना।

(V) चयनित पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(VI) पर्यटन स्थलों के संवर्धन से स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं पर्यटन सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना। तद्नुसार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

(VII) पर्यटन स्थलों के विकास से प्रदेश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना।

(VIII) उत्तर प्रदेश के स्थानीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थलों को चयनित पर्यटन स्थल के साथ परस्पर जोड़ना।

(IX) सहभागिता आधारित इस योजनान्तर्गत न्यूनतम रू0 पच्चीस लाख तथा अधिकतम रू0 पांच करोड़ तक के प्रस्तावों पर विचार किया जाना।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1.2 पर्यटन विकास हेतु प्रस्तावक

योजनान्तर्गत पचास प्रतिशत अंशदान की सहभागिता हेतु मा0 जनप्रतिनिधिगण के अतिरिक्त कोई भी प्रतिष्ठित व सक्षम व्यक्ति अथवा सरकारी/अर्द्ध सरकारी/गैर सरकारी संस्था/संगठन प्रस्तावक हो सकेंगें। सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 सांसद (लोकसभा/राज्यसभा) द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधान सभा/विधान परिषद क्षेत्र के मा0 विधायक (विधान सभा/विधान परिषद) द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत उनकी गाईडलाइन्स/मार्गदर्शीय सिद्धान्त के अनुसार आच्छादित कार्यो हेतु परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत धनराशि का कन्वर्जेन्स प्रस्ताव दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नगर निकायों, ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी निधियों के अन्तर्गत तथा पौराणिक, आध्यात्मिक व धार्मिक स्थलों की प्रबन्धन समिति/ट्रस्ट, ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठनो के फण्ड, कार्पोरेट फर्मों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों अथवा निजी क्षेत्र की कम्पनियों के सी0एस0आर0 द्वारा भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

1.3 पर्यटन विकास हेतु उपयुक्त स्थल का चयन

(I) पर्यटन विकास हेतु प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र को इकाई मानकर एक या पर्यटन स्थलों की महत्ता एवं आर्थिक उपादेयता के आधार पर एक से अधिक पर्यटन स्थलों का चयन संबंधित प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा। जिस पर्यटन स्थल का विकास किया जायेगा, वह धार्मिक, सांस्कृतिक, नैसर्गिक, पौराणिक या ऐतिहासिक अथवा पर्यटन की दृष्टिकोण से सार्वजनिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। चयनित पर्यटन स्थल का आगणन जिलाधिकारी द्वारा पर्यटन विभाग के सूचीबद्व आर्किटेक्ट से तैयार कराकर जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की संस्तुति सहित महानिदेशक पर्यटन को प्रेषित किया जायेगा। महानिदेशक पर्यटन के स्तर से उक्त प्रस्ताव प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति हेतु पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(II) पर्यटन विकास हेतु निर्विवादित स्थल का चयन किया जायेगा, जहॉ कोई न्यायिक स्थगन, भूमि विवाद अथवा अन्य कोई सीमा व स्वामित्व संबंधी विवाद न हो।

(III) पर्यटन विकास हेतु सरकारी भूमि, रजिस्टर्ड पब्लिक सोसाइटी/ ट्रस्ट/धार्मिक/पौराणिक स्थल की सार्वजनिक उपयोग की भूमि, ग्राम सभा की भूमि अथवा अन्य किसी भी पर्यटन स्थल की सार्वजनिक उपयोग की अविवादित भूमि पर कार्य कराये जायेंगे। इस कार्य हेतु कोई निजी स्वामित्व की भूमि नहीं ली जायेगी, जब तक कि वह पब्लिक उपयोग अथवा सरकार के पक्ष में लीज/स्वामित्व में विधिवत न आ जाये।

'सार्वजनिक उपयोग की भूमि से तात्पर्य' उस भूमि से है जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था विशेष के निजी उपयोग की न होकर समस्त नागरिकों के उपयोगार्थ उपलब्ध हो। यदि भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार अथवा उसके किसी निकाय का नहीं है तो सार्वजनिक ट्रस्ट अथवा संस्था का होना जरूरी होगा। इस परिसर में एवं इस योजना के अधीन निर्मित संरचना का उपयोग सार्वजनिक कार्यो हेतु होगा।

निजी स्वामित्व की भूमि को सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत पब्लिक ट्रस्ट अथवा सरकारी विभाग के स्वामित्व में लाने हेतु दान, लीज अन्तरण, विनिमय अथवा अधिग्रहण हेतु तत्समय लागू विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर किया जायेगा तथा स्वामित्व भी उपरोक्तानुसार लागू विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार होगा।

(IV) पर्यटन विकास हेतु एक बार चयनित स्थल को बिना किसी आधार व कारण के बदला नही जायेगा, विशेष परिस्थितियों में प्रस्तावक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन द्वारा पर्यटन स्थल को बदलने पर विचार किया जायेगा।

(V) पर्यटन स्थल के विकास हेतु आगणन का गठन वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-5/ 2015/ ई-8-1092 /दस-2015-1074/2012 दिनांक 08.09.2015 (समय-समय पर यथा

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संशोधित) में नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों द्वारा तैयार कराये जायेगें। निर्माण एवं विकास कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने में शासन द्वारा अधिकृत उ0प्र0राज्य पर्यटन विकास निगम लि0को उसकी क्षमता एवं कार्यदक्षता के आधार पर प्राथमिकता दी जायेगी।

1.4 पर्यटन स्थलों पर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले सम्भावित कार्य

योजना के अन्तर्गत जनसुविधाओं का विकास, पर्यटन परिसर की लैण्डस्केपिंग, बैठने की सुविधा हेतु बेन्चों का निर्माण, मार्गदर्शक संकेतक, जलपान गृह, स्टोर रूम, सामान रखने हेतु लॉकर, पादुकाघर, चबूतरा, रेलिंग, फेन्सिंग, बाउण्ड्रीवाल, परिसर के अन्दर पाथवे, इण्टरलाकिंग टाईल्स कार्य व अन्य अनुमन्य सौन्दर्यीकरण कार्य जैसे-पौराणिक थीम पर आधारित स्थापत्य, भित्तिचित्र, म्यूरल, फ्रेस्को, परिसर के अन्दर पार्किंग, गेट, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प, एस.टी.पी. (सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट), अंडर ग्राउण्ड विद्युतीकरण, सबमर्सिबल पम्प, ओवर हेड टैंक, फायर सेफ्टी उपकरण, स्वच्छता मशीनरी व उपकरण, सोलर लाइट्स, प्रसाधन सुविधायें, जलाशय/नदी/कुण्ड के घाट एवं परिसर से सटे पार्किंग के कार्य तथा पर्यटन स्थल के विकास में यथाआवश्यक वृक्षारोपण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग के कार्य कराये जा सकेंगें। पर्यटन स्थल पर यथासम्भव उक्त कार्य ही कराये जायेगें, किन्तु विशेष परिस्थितियों में औचित्य होने पर सूची से इतर कार्य भी कराये जा सकेगें।

1.5 योजना का क्रियान्वयन:-

जिले स्तर पर गठित वर्तमान मेंसक्रिय जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद, जिसके मुख्यतः निम्नांकित सदस्य हैं, मेंआंशिक संशोधन करते हुये जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद की अब दो समितियां होंगी।एक सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति सम्बन्धित जनपद के माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता मेंनिम्नानुसार गठित की जायेगी, वह योजनाओं की मॉनीटरिंग, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिले स्तर पर करेंगी, तद्नुसार प्रत्येक जनपद में आवश्यक कार्यवाही करा ली जायेतथादूसरी कार्यकारी समिति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित की जायेगी।

क्र.स.	पदनाम	समिति में सदस्य	
1	जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री	अध्यक्ष	पदेन
2	जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष	पदेन
3	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य	पदेन
4	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	पदेन
5	1-उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण/सचिव विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 2-नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त 3-अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत 4-अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद।	सदस्य	पदेन
6	जिला पंचायती राज अधिकारी	सदस्य	पदेन
7	क्षेत्रीय पुरातत्व अधीक्षक	सदस्य	पदेन
8	मुख्य कोषाधिकारी /कोषाधिकारी	कोषाध्यक्ष	पदेन
9	क्षेत्रीय प्रबन्धक/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/ प्रबन्धक उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	सदस्य	पदेन
10	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य	पदेन

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	जिला विकास अधिकारी	सदस्य	पदेन
12	जिला स्तरीय अधिकारी/प्रभारी अधिकारी, आयुष विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग	सदस्य	पदेन
13	जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल)	सदस्य	पदेन
14	संस्कृति विभाग के स्थानीय अधिकारी	संयुक्त सचिव	पदेन
15	उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी /पर्यटन सूचना अधिकारी /संस्कृति विभाग का स्थानीय अधिकारी (जैसी स्थिति हो)	सदस्य सचिव	पदेन

जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद् में सभी मा0 सांसद एवं मा0 विधायक इसके सदस्य होंगे।

1.6 क्रियान्वयनव अनुश्रवण समिति के कार्य:-

1- प्रत्येक पर्यटन स्थल पर विकसित किये जाने वाली पर्यटक सुविधाओं की आवश्यकता/उपादेयता का आंकलन कराते हुए वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-5/ 2015/ ई-8-1092 /दस-2015-1074/2012 दिनांक 08.09.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) में नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों एवं पर्यटन विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-265/2022/आई/158943/ 41-1099/ 19/ 2021-22(सा0)/ 2021 दिनांक 25-04-2022 में नामित उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 के माध्यम से तद्नुसार प्रारम्भिक औचित्यपूर्ण आगणन गठित कराना। कार्यदायी संस्था का औपचारिक चयन पर्यटन विभाग द्वारा किया जायेगा। तत्पश्चात् औपचारिक रूप से नामित कार्यदायी संस्था के माध्यम से जिलाधिकारी विस्तृत आगणन (डी0पी0आर0) गठित कराकर शासन द्वारा वांछित विभिन्न बिन्दुओं पर विवरण अंकित कराकर निर्धारित प्रारूप में समस्त औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण कराते हुए अपनी संस्तुति सहित महानिदेशक, पर्यटन को प्रेषित करेंगें।

2- प्रस्ताव में प्रस्तावित की गयी परिसम्पित्तियों के अनुरक्षण एवं संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के उपरान्त ही प्रस्ताव प्रेषित किया जाना।

3- परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना। परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण सुनिश्चित कराना।

4- योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव हेतु स्थानीय स्तर पर आवश्यक धनराशि हेतु आय के साधन विकसित करना।

5- योजना के रखरखाव एवं देखरेख के लिये वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध निष्पादित करना।

6- पर्यटकों के मध्य योजनाओं/परियोजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराना।

1.7 योजना के अन्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रिया एवं चरण

1- योजना के क्रियान्वयन में कार्यदायी संस्था द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों तथा सिंचाई एवं जल संसाधन सम्बन्धी कार्यो पर सिंचाई विभाग की अनुसूची दरों का प्रयोग किया जायेगा। इन विभागों की अनुसूची दर न होने पर अन्य अनुमन्य संस्थाओं द्वारा जारी अनुसूची दरों का प्रयोग किया जायेगा।

2- योजना के कार्यों के सम्पादन का पर्ट चार्ट/टाइम लाइन एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना स्थल के उन स्थलों के फोटोग्राफ, टोपोग्राफी अथवा कंटूर मैप, साइट मैप (कनेक्टिविटी सहित)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जहां कार्य होने हैं, योजना के विस्तृत आगणन में अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायेंगें तथा मृदा परीक्षण आख्या भी अवश्य संलग्न की जायेगी।

3- कन्वर्जेन्स (Convergence) के माध्यम से पर्यटन स्थल के विकास हेतु मृदा कार्य, वृक्षारोपण कार्य एवं अमृत सरोवर का विकास कार्य तथा मनरेगा योजना के अन्तर्गत अनुमन्य अन्य कार्य कराये जायेंगें परन्तु ग्रामीण पर्यटन स्थल के सौदर्यीकरण हेतु उन कार्यो को, जो मनरेगा के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उसे पर्यटन विभाग द्वारा कराया जायेगा। तद्नुसार विस्तृत आगणन तैयार किया जायेगा।

4- परियोजना में पर्यटन विभाग हेतु निर्धारित कार्यों की धनराशि टेण्डर लागत के सापेक्ष नियमानुसार समानुपातिक रूप से जारी की जायेगी।

5- कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र, एवं फोटोग्राफ पर्यटन विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगें। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों के सत्यापन एवं संस्तुति के उपरान्त पर्यटन विभाग द्वितीय किश्त जारी करेगा।

6- प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने पर क्लोजर रिपोर्ट/पूर्णता प्रमाण पत्र, जिसमें एम0बी0 के आधार पर किये गये भुगतान का कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन एवं प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

1.8 योजना में चयनित पर्यटन स्थल के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था

1- पर्यटन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु परियोजना विकास की न्यूनतम धनराशि रू0 पच्चीस लाख तथा अधिकतम धनराशि रू0 पाँच करोड़ तक होगी, जिसमें पर्यटन विभाग द्वारा विभागीय गाईडलाइन्स/मार्गदर्शीय सिद्धान्त से आच्छादित कार्यो हेतु आंकलित परियोजना लागत धनराशि का अधिकतम पचास प्रतिशत (अधिकतम रू0 दो करोड़ पचास लाख तक) का वित्त पोषण किया जायेगा।

परियोजना लागत के अवशेष पचास प्रतिशत का वित्त पोषण सम्बन्धित क्षेत्र के मा0 सांसद (लोकसभा/राज्यसभा) द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत, विधान सभा/विधान परिषद क्षेत्र के मा0 विधायक (विधान सभा/विधान परिषद) द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत उनकी गाईडलाइन्स/मार्गदर्शीय सिद्धान्त के अनुसार 50 प्रतिशत धनराशि का कन्वर्जेन्स प्रस्ताव दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त नगर निकायों, ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी निधियों के अन्तर्गत तथा पौराणिक व धार्मिक स्थलों की प्रबन्धन समिति/ट्रस्ट, ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठन द्वारा अपनी निधियों तथा कार्पोरेट फर्म, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा सी0एस0आर0 के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

उक्त प्रस्ताव के पचास प्रतिशत के वित्त पोषण की वचनबद्धता/सहमति पत्र विभाग द्वारा (निर्धारित प्रारूप पर) आगणन के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना होगा।

2- जिलाधिकारी योजनान्तर्गत प्रेषित प्रस्तावों पर कराये जाने वाले कार्यो को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, विधायक निधि योजना आदि से संबंधित गाइडलाइन तथा अन्य लागू प्राविधानों के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के वित्त पोषण में विधायक निधि/सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सी0एस0आर0 आदि का विशेष महत्व है। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परियोजना में पचास प्रतिशत वित्त पोषण उपरोक्त निधियों एवं सी0एस0आर0 से प्राप्त हो। इस सम्बन्ध में लिखित पत्र एवं धन उपलब्धता संबंधी सत्यापन प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ लगायेंगे।

4- योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022/सुसंगत शासनादेश के अनुसार बजट की किश्त समानुपातिक रूप से जारी किया जाना अनिवार्य होगा, अर्थात हर किश्त में पचास प्रतिशत भाग सहमति प्रदाता के द्वारा साथ ही में देय होगा, जो कार्यदायी संस्था को समय पर उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जायेगा। ऐसा न होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा तत्काल विभाग को सूचित किया जायेगा।

1.9 योजना के अन्तर्गत विकसित पर्यटन स्थल का रख-रखाव

चयनित पर्यटन स्थल का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् पर्यटन स्थल का रख-रखाव/संचालन/अनुरक्षण का कार्य संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा यथा आवश्यकतानुसार भूस्वामित्व वाले स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत अथवा पौराणिक व धार्मिक स्थल के ट्रस्ट/प्रबन्ध समिति को सौंपा जायेगा। इन परिसम्पत्तियों के लिए उक्त संस्थाओं में से कोई उत्तरदायी न होने की दशा में जिला पर्यटन व संस्कृति परिषद द्वारा इनके रख-रखाव /संचालन/अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा, जिसकी प्रगति/अनुरक्षण के सम्बन्ध में त्रैमासिक आख्या जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से पर्यटन निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

3. मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) प्रदेश के प्रसिद्ध, लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के विकास में कन्वर्जेन्स के माध्यम से पचास प्रतिशत वित्तीय सहभागिता प्राप्त कर मा0 जनप्रतिनिधियों (मा0 सांसद/मा0 विधायक) एवं अन्य सक्षम व उपयुक्त संस्थाओं/व्यक्तियों के प्रस्तावों पर अवशेष पचास प्रतिशत अंशदान पर्यटन विभाग द्वारा ''मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास'' मद से किया जायेगा।

(ख) शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मा0 सांसद, (लोक सभा/राज्य सभा), मा0 सदस्य, विधान सभा/विधान परिषद, नगर निकायों के अध्यक्ष तथा निजी क्षेत्र के सी0एस0आर0, निजी व्यक्ति/प्रवासी भारतीय, एन0जी0ओ0 एवं ट्रस्ट द्वारा पर्यटन विकास एवं निर्माण की जो परियोजनायें राज्य सरकार/पर्यटन विभाग के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी, उन परियोजनाओं के डी0पी0आर0 में उल्लिखित लागत न्यूनतम रू0 पच्चीस लाख तथा अधिकतम रू0 पॉच करोड़ होगी, में से पचास प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी तथा शेष पचास प्रतिशत धनराशि मा0 सांसद (लोकसभा/राज्यसभा) द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, मा0 विधायक (विधान सभा/विधान परिषद) द्वारा विधायक निधि, नगर निकायों, ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी निधियों के अन्तर्गत तथा पौराणिक व धार्मिक स्थलों की प्रबन्धन समिति/ट्रस्ट, ख्याति प्राप्त स्वयंसेवी संगठन, कार्पोरेट फर्म, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अथवा निजी क्षेत्र के सी0एस0आर0 के अन्तर्गत कन्वर्जेन्स प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

कृपया तद्नुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुखसचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- मा0 सांसद(लोक सभा/राज्य सभा)उत्तर प्रदेश।
5- मा0 विधायक,(विधान सभा/विधान परिषद्)उत्तर प्रदेश।
6- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
7- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
11- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0 लखनऊ।
12- निदेशक, सूचनाउ0प्र0 लखनऊ।
13- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
14- समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी, उ0प्र0।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अश्विनी कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।